

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 32/19

रामस्वरूप पुत्र किशनदास जाति सरभंगी उम्र 60 साल निवासी माली मोहल्ला सावनभादौ तहसील कनवास।

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित —

प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री बद्रीलाल मेरोठा।
प्रतिवादी की ओर से— तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक— 08.09.2020

प्रार्थी द्वारा जयें एडवोकेट प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास के खाता संख्या नया 84 व पुराना 79 की खसरा नंबर 392 की 1.08 है0, खसरा नंबर 1441 की 0.20 है0, खसरा नंबर 1442 की 0.26 है0, खसरा नंबर 1478 की 0.23 है0, खसरा नंबर 1522 की 0.50 है0, कुल किता 05 की कुल रकबा की कुल रकबा 2.27 है0, आराजी व माल ग्राम सावनभादौ पटवार हल्का सावनभादौ के खाता नंबर नया 85 व पुराना 78 की खसरा नंबर 866 की 0.75 है0, खसरा नंबर 867 की 0.01 है0, खसरा नंबर 868 की 0.90 है0, खसरा नंबर 869 की 0.90 है0, खसरा नंबर 873 की 0.63 है0, खसरा नंबर 874 की 1.63 है0, खसरा नंबर 922 की 0.35 है0, खसरा नंबर 923 की 0.18 है0, खसरा नंबर 924 की 0.32 है0, खसरा नंबर 2459 की 0.47 है0, कुल किता 13 की कुल रकबा 7.71 है0, आराजी स्थित है।

यह कि उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गलती से रामस्वरूप पुत्र किशनदास के स्थान पर रामचरण अंकित हो गया है, जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम प्रार्थी के अन्य दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में रामस्वरूप ही अंकित है, राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित से तथा प्रार्थी के अन्य



Page no 1


उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप अंकित होने से प्रार्थी को काफी परेशानी होती है, तथा प्रार्थी अपना हिस्सा आराजी के प्रति बैंक सहकारी समिति आदि में लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यवाही करने जाने पर राजस्व रिकार्ड में नाम गलत होने व प्रार्थी के अन्य दस्तावेज में सही नाम अलग होने से परेशानी होती है।

इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मद क्रम 01 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दुरुस्त कर रामचरण से रामस्वरूप अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करें।


प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी राज्य सरकार से जवाब लिया गया, राज्य सरकार की तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि वादी द्वारा वाद पत्र की आराजी की पेरा नंबर 01 में दर्ज अपना नाम रामचरण के स्थान पर रामस्वरूप दर्ज कराना चाहता है। यदि वादी यह सिद्ध करने की रामस्वरूप और रामचरण एक ही व्यक्ति तथा अन्य सहखातेदार को किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो राज सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी वकील सहखातेदारान गीता बाई पुत्री किशनदास जाति सरभंगी एवं अन्य सहखातेदान का शपथ-पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी वकील द्वारा बहस हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी वकील की प्रार्थना स्वीकार कर पत्रावली पर बहस प्रार्थी सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना की गई की प्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास के खाता नंबर नया 84 व पुराना 79 की खसरा नंबर की 392 की रकबा 1.08 है0, खसरा नंबर 1441 की 0.20 है0, खसरा नंबर 1442 की 0.26 है0, खसरा नंबर 1478 की 0.23 है0, खसरा नंबर 1522 की 0.50 है0, कुल किता 05 की कुल रकबा की कुल रकबा 2.27 है0, आराजी व माल ग्राम सावनभादौ पटवार हल्का सावनभादौ के खाता नंबर नया 85 व पुराना 78 की खसरा नंबर 866 की 0.75 है0, खसरा नंबर 867 की 0.01 है0, खसरा नंबर 868 की 0.90 है0, खसरा नंबर 869 की 0.90 है0, खसरा नंबर 873 की 0.63 है0, खसरा नंबर 874 की 1.63 है0, खसरा नंबर 922 की 0.35 है0, खसरा नंबर 923 की 0.18 है0, खसरा नंबर 924 की 0.32 है0, खसरा नंबर 2459 की 0.47 है0, कुल किता 13 की कुल रकबा 7.71 है0, कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी का नाम उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के पेरा नंबर 01 में वर्णित भूमियों के प्रार्थी का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में रामचरण अंकित कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम रामस्वरूप पुत्र किशनदास है। प्रार्थी के पहचान के सभी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र किशनदास दर्ज हैं। अतः प्रार्थी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। बहस प्रार्थी सुनी गयी।

अतः संलग्न दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास के खाता नंबर नया 84 व पुराना 79 की खसरा नंबर की 392 की रकबा 1.08 है0, खसरा नंबर


सुपरीअड अधिकारी
कनवास जिला कोट (राज०)

1441 की 0.20 है0, खसरा नंबर 1442 की 0.26 है0, खसरा नंबर 1478 की 0.23 है0, खसरा नंबर 1522 की 0.50 है0, कुल किता 05 की कुल रकबा की कुल रकबा 2.27 है0, आराजी व माल ग्राम सावनभादौ पटवार हल्का सावनभादौ के खाता नंबर नया 85 व पुराना 78 की खसरा नंबर 866 की 0.75 है0, खसरा नंबर 867 की 0.01 है0, खसरा नंबर 868 की 0.90 है0, खसरा नंबर 869 की 0.90 है0, खसरा नंबर 873 की 0.63 है0, खसरा नंबर 874 की 1.63 है0, खसरा नंबर 922 की 0.35 है0, खसरा नंबर 923 की 0.18 है0, खसरा नंबर 924 की 0.32 है0, खसरा नंबर 2459 की 0.47 है0, कुल किता 13 की कुल रकबा 7.71 है0, में प्रार्थी का नाम दुरुस्त कर रामचरण के स्थान पर रामचरण उर्फ रामस्वरूप पुत्र किशनदास किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार कनवास को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजेश झागा (अ.ए.एस.)
कनवास जिला कौटा (राज०)
उपखण्ड अधिकारी

कनवास